# श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कमरा सं. 409, "ए" विंग,

शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001

******

**अपील सं. 20/एएस(आरवाई)/आईसी/ आरटीआई/2016**

**के मामले में:**

श्री प्रदीप कुमार सोनी,
सैनिक नगर, गंगापुर सिटी,
जिला-सवाई माधोपुर,
राजस्थान - 322201 .............अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग.
शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 ..............प्रत्यर्थी

## आदेश

**दिनांक :** 4.10.2016

श्री प्रदीप कुमार सोनी (यहां इसके पश्चात् अपीलार्थी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अपनी दिनांक 30.05.2016 की याचिका (विभाग में विधायी विभाग के दिनांक 13.06.2016 के पत्र के साथ दिनांक 15.6.2016 को प्राप्त) में 52 बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी।

2. विधि कार्य विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यहां इसके पश्चात् प्रत्यर्थी) ने अपने दिनांक 04.8.2016 के उत्तर के तहत अपीलार्थी को यह सूचित किया था कि विभाग के लोक शिकायत अनुभाग ने अपने दिनांक 21.4.2016 के पत्र द्वारा उनकी दिनांक 29.2.2016 की याचिका को राजस्थान सरकार को हस्तांतरित कर दिया था तथा उनकी दिनांक 30.5.2016 की याचिका में मांगी गई सूचना विधि कार्य विभाग में उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने दिनांक 28.7.2016 के पत्र द्वारा प्रथम अपील दायर की है।

3. इस मामले में दिनांक 15.9.2016 को दोपहर 12.00 बजे कमरा सं. 409, 'ए' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली में सुनवाई निर्धारित की गई थी और इस बारे में दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सूचित किया गया था कि यदि कोई भी एक पक्षकार सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ तो आगे की कार्यवाही की जाएगी और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले का निपटान कर दिया जाएगा। अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के बारे में कोई लिखित सूचना दी गई।

4. मैंने अपील के ज्ञापन और प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सूचना को देख लिया है और मैं प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की आरटीआई याचिका पर की गई कार्रवाई से सहमत हूं क्योंकि अपीलार्थी ने जो सूचना मांगी है वह विधि कार्य विभाग के कार्यक्षेत्र की परिधि में नहीं आती है। तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

5. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

रा० या०

**(रामायण यादव)**

अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

दूरभाष सं. 23384204

**प्रतिलिपि प्रेषित**:-

1. श्री प्रदीप कुमार सोनी, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर-322201
2. श्री के. गिनखन थंग, उप सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001